कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांक :–एफ( )सर्वे / उवसझु / 2022–23 / 0547 दिनांकः– 26/5/22

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति,
उदयपुरवाटी

विषयः–Diversion of 0.4095 ha. forest land in favour of Block development office for construction of Gravel Road from Approach road Kishorpura to Dhani Ghatipura KM 0/00 to 0/950, at village-Kishorpura, Tehsil- Udaipurwati, District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/ROAD/148099/2021).

संदर्भः–राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(12)वन / 2022 दिनांक 05.05.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में निवेदन है कि Block development office for construction of Gravel Road from Approach road Kishorpura to Dhani Ghatipura KM 0/00 to 0/950, at village-Kishorpura, Tehsil- Udaipurwati, District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/ROAD/148099/2021 के निर्माण मे आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। वन भूमि के 0.4095 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृती में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। अधिरोपित शर्तों की निम्नानुसार बिन्दुवार पालना आपके द्वारा अपेक्षित है:–

1 शर्त सं0 1 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2 शर्त सं0 2 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीवजन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाये जायेगे एवं उनके संरक्षण के समस्त उपाय किये जावेगे। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्ष वन विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ के रसोई गैस / केरोशिन तेल का आपूर्ति की जावेगी। ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति ना हो। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेंगा। ग्राम पंचायत स्तर कमेटी एवं उपखण्ड स्तरीय कमेटी उदयपुरवाटी से प्रस्ताव का अनुमोदन करवाकर जिला स्तरीय कमेटी से एफआरए सर्टिफिकेट जारी करवाकर मूल एफआरए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें।

9. शर्त सं0 09 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10. शर्त सं0 10 की पालना में 0 से 10 वृक्षों के काटे जाने के एवज में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु राशि रू. 34854/– वेब पोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) सृजित ई–चालान द्वारा सीधे ही जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें।
11. शर्त सं0 11 की पालना में एन.पी.वी. की Eco class 3 के लिए क्षेत्र मनस माता कंजर्वेशन रिजर्व में गिरने के कारण निर्धारित दर 957780 का पांच गुना के हिसाब से 0.4095x957780x5 =1961055 रू. का भुगतान वेब पोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा सीधे ही जमा कराकर चालान प्रति प्रस्तुत करें।
12. शर्त सं0 12 की पालना में यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवायी जावेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
13. शर्त सं0 13 की पालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।
14. शर्त सं0 14 की पालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं

क्रमांक :–एफ( )सर्वे/उवसझु/2021–22/ 8548-51 दिनांकः–26/5/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, झुंझुनू।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं

घर-घर औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (12) वन/2022 जयपुर, दिनांकः- 05 MAY 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.4095 ha. forest land in favour of Block Development Office for Construction of Gravel Road from Approach Road Kishorpura to Dhani Ghatipura KM 0/00 to 0/950, at Village-Kishorpura, Tehsil–Udaipurwati ,District -Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/ROAD 148099 2021)

संदर्भः—आपका पत्रांक एफ 14 (504/43)2021/एफसीए/प्रगुवस/09 दिनांक 06.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Block Development Officer, Block Development Office, Udaipurwati, Distrcit- Jhunjhunu, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 के अन्तर्गत ग्राम किशोरपुरा से ढाणी घाटीपुरा KM 0/00 to 0/950, ग्रेवल रडक के निर्माण हेतु 0.4095 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4095 ha. forest land in favour of Block Development Office for Construction of Gravel Road from Approach Road Kishorpura to Dhani Ghatipura KM 0/00 to 0/950, at Village-Kishorpura, Tehsil–Udaipurwati ,District – Jhunjhunu, Rajasthan की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूनि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा
8. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227782
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
6. उप वन संरक्षक, झुंझुनूं।
7. Block Development Officer, Block Development Office, Udaipurwati, Distrcit-Jhunjhunu,
8. रक्षित पत्रावली।

प्राप्ति 2332
दिनांक 18/5/22

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी

FCA
यूजर एजेन्सी को Demand राशि व शर्तों की पालना हेतु लिखें।
18/5/22